

FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

कलक्टर,

मुकाम

नागौर

प्रार्थी

रेखाराम उर्फ रेखचन्द आयु 62 वर्ष
पुत्र मेघाराम जाति खाती निवासी
गोटन तहसील मेड़ता जिला नागौर

अप्रार्थी

1. पटवारी हल्का धनापा
तहसील मेड़ता जिला नागौर
2. तहसीलदार मेड़ता
जिला नागौर





किस्म मुकदमा

राजस्व स्थगन प्रार्थना पत्र

संख्या

37

सन् 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम इस हुकम तारीख जारी हुए
09.09.2020	वकील प्रार्थी ने धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत तहसीलदार मेड़ता के प्रकरण 216/2018 सरकार बनाम रेखाराम में पारित निर्णय दिनांक 18.12.2019 के विरुद्ध यह स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 05.10.2020 को पेश हो। जिला कलक्टर, नागौर 	
5-10-20	मा० राजस्व मण्डल अचभेर के परिपत्र दिनांक 21-9-20 के अनुसार कोविड-19 महाभारी की वजह से केवल अत्यावश्यक मामलो में ही सुनवाई के निर्देश हैं। P.O साहब प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त हैं। कलक्टर दिनांक अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नोटिस बाद तमील शा. नि. है। पत्रावली दिनांक 28-10-20 को पेश हो। 	
28.10.20	वकील प्रार्थी व कलक्टर अप्रार्थी की ओर से SA 31 उभोम प्रकाश प्रिन्सो उप०। पत्रावली प्रल अपील के लिये दिनांक 2-11-20 को पेश हो।  कलक्टर, नागौर	
2-11-2020	वकुलाम उप०। हलगत स्थगन प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल अपील फैसल हो जाने से अब इस स्थगन प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाने के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह स्थगन प्रार्थना पत्र रद्द किया जाता है। आदेश सुनाया। पत्रावली फैसल शुद्ध होकर नम्बर से कम हो।  (डॉ० जितेन्द्र कुमार सेनी) कलक्टर, नागौर	

